फर्द अहकाम

मोतीलाल बनाम रा० सरकार

यालय SDO शाहपुरा

या 32/2025

अनुभाग ....

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/9/25	अभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य .... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि 10/10/25 को पेश हो ! (रीडर)	
10/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं 12 की Reg. A.D. से तामील हेतु पुनः तलबाना पेश करे। तामील व जवाब हेतु वास्ते पेश होने पत्रावली दिनांक 29/10/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज)	
29/10/25	वकील उभयपक्ष ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से.....जयपुर पधारे.....है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 6/11/25 को पेश हो। प्रस्तुतकार	
6/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 14 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी है जो बावजूद तामिल व सूचना के उपस्थित नहीं जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त हम पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है। फैसला अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। फैसला शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :– 32/2025

उनवान

1.मोतीलाल पुत्र कानदास
2.मोहनलाल पुत्र कानदास
3.लक्ष्मण पुत्र कानदास
4.रिछपाल पुत्र बद्रीप्रसाद
5.शैतान पुत्र बद्रीप्रसाद
समस्त जाति स्वामी निवासी बाडीजोडी तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार,शाहपुरा तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर(राज)
2. राधेश्याम पुत्र मालीराम
3 सीताराम पुत्र मालीराम
4. तोताराम पुत्र मालीराम
5 रमेश पुत्र मालीराम
6 राजेश पुत्र मालीराम
7. रामोतार पुत्र मालीराम
8. शंकर पुत्र मालीराम
9. सुमित्रा पुत्री मालीराम
10. संतरा पुत्री मालीराम
11 सुनील पुत्र गोकुल
12. सुमित्रा पुत्री गोकुल
समस्त जाति बलाई निवासी बाडीजोडी तहसील शाहपुराजिला जयपुर(राज)
13.महादेव पुत्र मनसा
14. रामदेव पुत्र मनसा
जाति माली निवासी बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक

उपस्थितः– प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रामगोपाल कुमावत

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैकि हाल आराजी खं0नं0 867/1.33,868/0.75, 871/0.24 कुल किता 3 कुल रकबा 2.32 हैक्टर वाकै ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं । प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे हैं । प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 04.11.24 को तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/2024/63 दिनांक 28.10.2024 की पालना में हाल आराजी खं0नं0 867/1.33,868/0.75, 871/0.24 कुल किता 3 कुल रकबा 2.32 हैक्टर वाकै ग्राम

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

बाडीजोडी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का सीमाज्ञान किया गया । प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 867/1.33,868/0.75, 871/0.24 कुल किता 3 कुल रकबा 2.32 हैक्टर वाकै ग्राम बाडीजोडी के पास स्थित आराजी काश्तकार अप्रार्थीगण 2 लगा0 14 द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाओ पर सींव,डोल आदि का विवाद करते रहते हैं ।अतः प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर गढी करवाना चाहते हैं ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिर्पोट सरिस्ता ली जाकर तथा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 एडी से सूचित किया गया । अप्रार्थीगण 1 लगा0 14 की जरिये जरिये रजि0 एडी से तामील हो चुकी हैं लेकिन बावजूद तामील के अप्रार्थीगण 1 लगा0 14 अनुपस्थित रहे एवं ना ही उनकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया है। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं

पत्रावली का अवलोकन किया गया।वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं । पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं, तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद ,सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय हैं, जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमाचिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं । मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं ।

<u>**आदेश**</u>

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी ख0नं0 867/1.33,868/0.75, 871/0.24 कुल किता 3 कुल रकबा 2.32 हैक्टर वाकै ग्राम बाडीजोडी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 04.11.2024 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक —————— को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)